

वादी की ओर से रामकुमार बिश्नोई अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से कु. सन्तोष पुनिया अधिवक्ता की उपस्थिति में आज दिनांक ..... को कपिल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाकर डिक्री की जाती है कि मुताबिक राजीनामा वादी को वादी को वाके चक नम्बर 5 एम. डबलू. एम. बी खाता संख्या 46/43 प0नं0 135/373 मुरबा नं0 51 किला नम्बर 1/2/0.228, 2 to 5, 8, 9 प्रत्येक 0.253 कुल तादादी 1.974 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन भूमि प्राप्त हुई हैं। तथा प्रतिवादी को चक 5 एम. डबलू. एम. ए खाता संख्या 37/34 की 0.883 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई। जो उनके नाम से ही दर्ज हैं। मुताबिक राजीनामा वादी का खाता विभाजन कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बिरानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन करेगे।

यह डिक्री आज दिनांक 24.3.21 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गई।



(कपिल यादव)

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official

प्रमाणित प्रतिलिपि

किया

3